न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता के समक्ष

वासदेव सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

मिस परमीन कौर, प्रतिवादी

1987 का नागरिक संशोधन क्रमांक 1177

2 जून 1987

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-आदेश 33 नियम 3-निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन-ऐसे आवेदन लंबित हैं-अंतरिम भरण-पोषण के अनुदान के लिए आवेदन दायर किया गया है-ऐसे आवेदन की पोषणीयता-परीक्षण के दौरान उठाए गए रखरखाव के संबंध में ऐसी कोई आपत्ति नहीं है-की वैधता ऐसी आपत्ति पुनरीक्षण स्तर पर है।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई थी कि प्रतिवादी नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33, नियम 3 के तहत दायर आवेदन के लंबित रहने के दौरान किसी अंतरिम भरण-पोषण का हकदार नहीं था। ऐसा होने पर, प्रतिवादी पुनरीक्षण याचिका के इस चरण में पहली बार इस याचिका को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (पैरा 5) धारा 115 सी.पी.सी. के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका श्री जी.एस. झाज, पी.सी.एस., उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के न्यायालय के दिनांक 23 मार्च, 1987 के आदेश से रु. उस दिन से बेटी परमीन कौर को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हालाँकि, प्रतिवादी का बेटा गुरविन सिंह बालिग होने के कारण किसी भी भरण-पोषण का हकदार नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से एन. सी. जैन, अधिवक्ता ए. सी. जैन के साथ

उत्तरदाताओं की ओर से जे.एस. सेठी और एच.एस.अवस्थी अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता

(1) यह पिता और बेटी के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान रुपये की दर से अंतरिम रखरखाव प्रदान किया गया है। 500 प्रति माह.

(2) याचिकाकर्ता वासदेव सिंह की पत्नी जोसिंदर कौर ने अपनी बेटी परमीन कौर और उसके बेटे गुरविन सिंह के साथ प्रतिवादी वासदेव सिंह से भरण-पोषण की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है। उस मुकदमे में, बेटे और बेटी ने अंतरिम भरण-पोषण देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे दोनों कॉलेज जाने वाले छात्र हैं और न तो नियोजित हैं और न ही उनके पास आय का कोई स्रोत है। यहां तक कि पत्नी के पास भी आय का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन चूंकि उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अंतरिम रखरखाव प्रदान किया गया था, हालांकि यह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आगे दलील दी गई कि वासदेव सिंह प्रतिवादी रुपये कमा रहा है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में प्रोफेसर के रूप में 5,300 प्रति माह और सेक्टर-16, चंडीगढ़ में सरकारी आवास में रह रहे थे। इन परिस्थितियों में, उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें रुपये दिए जाएं। मामले के लंबित रहने के दौरान प्रत्येक को 500 रु. मुकदमा फ़ॉर्मा-पाउपेरिस में दायर किया गया था। इस आवेदन का प्रतिवादी की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ इस दलील पर विरोध किया गया कि उक्त दोनों वादी बालिग हैं और इस प्रकार किसी भी भरण-पोषण की हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, वे अपनी मां के साथ रह रहे हैं और इस प्रकार, निराश्रित नहीं थे। वे प्रतिवादी के साथ एक विशाल सरकारी आवास में रह रहे हैं और इसलिए, किसी भी रखरखाव के हकदार नहीं थे। हालाँकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर बेटे को कोई गुजारा भत्ता देने की अनुमति नहीं दी कि वह अब नाबालिग नहीं है, लेकिन रुपये की अनुमति दी। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) के प्रावधानों के मद्देनजर, बेटी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 500 रु.

(3) प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि मुकदमा अब तक पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसे फॉर्मा-पॉपेरिस में दायर किया गया है और यह निर्धारित करने के लिए आवेदन अभी भी लंबित है कि वादी गरीब व्यक्ति हैं या नहीं निर्णय. इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, जब तक उक्त आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वादी की बेटी किसी भी अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं थी। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के डॉ. देविंदर सिंह विर्क बनाम श्रीमती के फैसले का हवाला दिया। हरमिंदर कौर. आगे यह तर्क दिया गया कि इस तरह के मुकदमे में अंतरिम भरण-पोषण देने का कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए, उक्त आवेदन के निर्णय के बाद भी, ऐसा कोई अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने रामचन्द्र बेहरा और अन्य बनाम श्रीमती का हवाला दिया। स्नेहलता देवी और गोरिवेल्ली अप्पन्ना बनाम गोरिवेल्ली सीथम्मा। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि बेटी अब नाबालिग नहीं है, इसलिए वह किसी भी तरह के भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

(4) दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी और इसलिए, प्रतिवादी को पहली बार इस आपत्ति को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। पुनरीक्षण याचिका का चरण. इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया, बेटी, जो कॉलेज जाने वाली छात्रा है, को अंतरिम भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। करीब दो साल तक उक्त आवेदन का भी निस्तारण नहीं हो सका। विद्वान वकील के अनुसार, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल के एक फैसले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा है कि इसके तहत एक पत्नी अंतरिम राहत की हकदार है। श्रीमती का संदर्भ दिया गया था। सावित्री बनाम गोविंद सिंह रावत। उन्होंने वली राम वरयाम सिंह बनाम श्रीमती का भी उल्लेख किया। मुख्तियार कौर का तर्क है कि एक अविवाहित बेटी, भले ही वह नाबालिग न हो, लेकिन अगर वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह भरण-पोषण की हकदार है।

(5) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और बार में उद्धृत मामले के कानून का भी अध्ययन किया है। आक्षेपित आदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई थी कि प्रतिवादी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 3 के तहत दायर आवेदन के लंबित रहने के दौरान किसी अंतरिम रखरखाव का हकदार नहीं था। ऐसा होने पर, प्रतिवादी को पुनरीक्षण याचिका के इस चरण में पहली बार यह दलील लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, बार में यह कहा गया है कि उक्त आवेदन अब बहस के लिए तय है और 28 मई, 1987 को निपटाए जाने की संभावना है। 28 मई, 1987 के आदेश की प्रति यह दिखाने के लिए दायर की गई है कि उक्त आवेदन अब ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

(6) जहां तक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण देने का संबंध है, मामला इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पूरन सिंह और अन्य बनाम एमएसटी में तय किया गया था। हर कौर और अन्य, जिसमें यह माना गया कि जहां वैवाहिक स्थिति को स्वीकार किया जाता है, वहां पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कर्तव्य है, भले ही वह उसके साथ रहने या वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार न हो। यह दूसरी बात है कि वह बदचलन हो गई है या दूसरी शादी कर ली है। ऐसी स्थिति में पति पर उसका भरण-पोषण करने का कोई कर्तव्य नहीं है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के बीच विवादों के कारण मामला डिवीजन बेंच को भेजा गया था और इसलिए, अंततः यह देखा गया: -

“यह भी तर्कसंगत है कि जहां वैवाहिक स्थिति को स्वीकार किया जाता है, वहां पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कर्तव्य है, भले ही वह उसके साथ रहने या वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार न हो। यह दूसरी बात है कि वह बदचलन हो गई है या दूसरी शादी कर ली है। ऐसी स्थिति में पति पर उसका भरण-पोषण करने का कोई कर्तव्य नहीं है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी विवाहित हैं और कोई दलील नहीं दी गई है कि पत्नी बदचलन हो गई है। इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रायल कोर्ट का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"

(7) इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की व्याख्या करते समय, सावित्री के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ भी इस संबंध में काफी प्रासंगिक हैं। उसमें यह देखा गया:-

“जब भी किसी चीज को कानून द्वारा करने की आवश्यकता होती है और उस चीज को करना असंभव पाया जाता है जब तक कि स्पष्ट शब्दों में अधिकृत नहीं किया गया कुछ भी नहीं किया जाता है, तो आवश्यक इरादे से कुछ और आपूर्ति की जाएगी। हालांकि ऐसा निर्माण वर्तमान मामले में हमेशा स्वीकार्य नहीं हो सकता है, तथापि, विचाराधीन कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। एक विपरीत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप आवेदक को गंभीर कठिनाई होने की संभावना है, जिसके पास अंतिम आदेश पारित होने तक गुजारा करने का कोई साधन नहीं हो सकता है।"

इस स्थिति में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों जैसे पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, यह याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh